

2
12/11/18

फैक्स

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक,

जनपद

देहरादून

पत्रांक: आर0आई0-मुल्जिम कमान/2018

दिनांक: नवम्बर, 2018

12 NOV 2018

1580/42
16/11/18

सेवा में,
माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश/जिलाधिकारी/वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, रोहणी कोर्ट, तीस
हजारी, पटियाला हाउस, द्वारिका कोर्ट, साकेत, कलकत्ता कोर्ट (दिल्ली), मुम्बई/लुधियाना, राजपुरा, भीगा,
बाघापुराना (पंजाब)/पंचकुला, बिलासपुर, करनाल, अम्बाला, यमुनानगर, जगाधरी, पानीपत, सोनीपत
(हरियाणा)/बीकानेर, जयपुर, भरतपुर (राजस्थान)/नाशिक (महाराष्ट्र) आनन्द (गुजरात)/जबलपुर,
(मध्यप्रदेश)/मु0नगर, सहारनपुर, मुसादाबाद, कौराना, मजीबाबाद, बरेली, बदायूँ, रामपुर, हापुड़, गाजियाबाद,
बिजनौर, चान्दपुर, बागपत, पीलीभीत, गौतमबुद्धनगर, आगरा, मेरठ, शाहजहापुर, अलीगढ़,
(उ0प्र0)/पौंटासाहिब, सिरमौर, शिमला (हि0प्र0)/हरिद्वार, लक्सर, रुडकी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, कोटद्वार,
हल्द्वानी, नैनीताल, काशीपुर, खटीमा, उधमसिंहनगर, रुद्रपुर, नरेन्द्रनगर, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल,
राजकीय नारी निकेतन, किशोर न्याय बोर्ड (उत्तराखण्ड)।

विषय : नगर निकाय स्थानीय सामान्य निर्वाचन-2018 को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 15.11.2018 से
दिनांक 21.11.2018 के मध्य पेश किये जाने वाले कुख्यात/प्रशासनिक विचाराधीन बन्दियों/कैदियों की
पेशी उक्त तिथियों के उपरान्त निर्धारित किये जाने विषयक।

कृपया उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि जनपद देहरादून में नगर निकाय सामान्य
निर्वाचन-2018 की तिथियां नियत होने के कारण निर्वाचन को सम्पन्न कराने हेतु जनपद का अधिकतम
पुलिस बल नियुक्त किया जाता है, जो दिनांक 15.11.2018 से दिनांक 21.11.2018 तक मतदान/मतगणना
एवं शांति व्यवस्था ड्यूटी में नियुक्त रहेगा। जिस कारण विचाराधीन बन्दियों/कैदियों को जिला कारागार से
माननीय न्यायालयों में पुलिस बल की कमी के कारण पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रस्तुत किया जाना
संभव नहीं हो पायेगा।

अतः अनुरोध है कि दिनांक 15.11.2018 से दि0 21.11.2018 तक की अवधि के मध्य पेश किये जाने
वाले विचाराधीन बन्दियों/कैदियों की पेशी तिथि को अवमुक्त करने एवं उक्त समयावधि के उपरान्त पेशी
तिथियां नियत करने की कृपा करें।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. महानिरीक्षक, कारागार, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जेल अधीक्षक, जिला कारागार देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।